न्यायालय– विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–1,

जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी	:	**डॉ. ललिता कुमारी सोनी(आर0जे0एस0)**
प्रकरण संख्या	:	**2060/2018**
सी0आई0एस0 नंबर	:	**सीआरसी/97331/2018**
CNR NO.	:	**RJJM020488352018**

मैसर्स एस के भार्गव एचयूएफ जरिये कर्ता सतीश कुमार, पता 2 विवेकानन्द नगर झोटवाडा जयपुर 302012

———परिवादी

बनाम

मुकेश, फ्लेट नंबर 102 जी एफ, श्री बालाजी रेजीडेन्सी, 330–334 सेन कॉलोनी शिव विहार रोड नंबर 5 सीकर रोड जयपुर राजस्थान 302016

——— अभियुक्त

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 1881

उपस्थितः

1. श्री अरविंद चावला, श्री घनश्याम गंगवाल, विद्वान अधिवक्तागण परिवादी की ओर से।
2. श्री विलियम पारीक, डी.सी. शर्मा, विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–18.08.2026**

1. यह प्रकरण परिवादी मैसर्स एस के भार्गव एचयूएफ जरिये कर्ता सतीश कुमार द्वारा अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम का परिवाद दिनांक 18.08.2018 को न्यायालय में पेश किये जाने एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2018 को उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किये जाने से उद्भूत हुआ।

2. प्रकरण के सुसंगत एवं आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से पुरानी जान पहचान के आधार पर अपनी व्यापारिक

व घरेलू आवश्यकता हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता होना बताकर दिनांक 31.05.2015 को 6,00,000 रूपये नकद व 01.10.2015 को 2,50,000 रूपये जरिये आरटीजीएस नंबर 084499 एवं दिनांक 28.04.16 को नकद 2,00,000 रूपये एवं दिनांक 08.06.2016 को 1,00,000 रूपये इस प्रकार कुल 11,50,000 रूपये उधार लिये थे। परिवादी द्वारा रूपयों का तलब तकाजा किये जाने पर अभियुक्त ने उधार लिये गये रूपयों की अदायगी बाबत एक चैक नंबर 502175 दिनांक 16.06.2018 का तादादी 11,50,000 रूपये का अपनी बैंक बैंक ऑफ बडोदा शाखा पार्कस्ट्रीट जयपुर का अपने हस्ताक्षरित दिया व भुगतान का विश्वास दिलाया जिस पर परिवादी ने उक्त चैक को वास्ते भुगतान अपनी बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोटवाडा जयपुर में पेश किया जो दिनांक 20.06. 2018 को फण्डस इनसफिसियेंट के आधार पर अनादरित हो गया। उपरोक्त चैक के अनादरित होने की सूचना परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये एक रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.07.2018 तको अभियुक्त के ज्ञात सही पते पर प्रेषित करवाया, जो अभियुक्त को दिनांक 06.07.2018 को प्राप्त हो गया। उक्त नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा उक्त चैक में वर्णित रकम का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं करने पर वाद कारण पैदा हुआ है। परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में असल चैक, असल रिटर्न मिमो, विधिक नोटिस, रजिस्ट्री रसीद आदि पेश किये। इस आशय का परिवाद पेश होने पर प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया गया।

3. बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध के प्रथमदृष्टया आधार पाये जाने से दिनांक 17.09.2018 को अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण परिवाद पर नियमित दाण्डिक दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया गया।

4. अभियुक्त को दिनांक 02.07.2019 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप सारांश विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उसने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. परिवादी की ओर से पी.डब्ल्यू –1 परीक्षित हुआ तथा मुख्य परीक्षा हेतु शपथ पत्र पेश किया जिसमें परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा मुख्य परीक्षा के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक प्रदर्श पी–1 है, रिटर्न मीमो प्रदर्श पी–2 है, लीगल नोटिस प्रदर्श पी–3 है, रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श पी–4 है, ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है आदि प्रदर्शित करवाए गए।

6. अभियुक्त के विरुद्ध आई अभियोजन साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण लेने हेतु अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना कहा तथा कथन किया कि निर्दोष है। झूठा फंसाया है। चैक सिक्योरिटी पेटे दिए थे। उसने परिवादी को पूरा पैसा चुका दिया है। इसके बाद भी चैक का दुरूपयोग किया है तथा अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना चाहा। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु अवसर दिया, किंतु अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करने पर दिनांक 22.01.2025 को अभियुक्त का न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया उभयपक्ष की बहस सुनी।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। परिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अभियुक्त ने परिवादी से जान पहचान होने के कारण अपनी आवश्यकता हेतु परिवादी से रूपये उधार लिये व उक्त रूपयों की अदायगी के लिए परिवादी से हस्तगत विवादित चैक परिदत्त किये जो कि फण्डस इनसफिसियेंट के रिमार्क से अनादरित हो गया जिसकी सूचना परिवादी द्वारा जरिये नोटिस अभियुक्त को दी गई जो कि अभियुक्त को प्राप्त हो गई। सूचना प्राप्ति के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि अदा नहीं की गई है। ऐसे में परिवादी के पक्ष में तथा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 118, 139 लिखत प्रकाम्य अधिनियम के तहत की गई उपधारणा सृजित होती है जिसे अभियुक्त की ओर से खण्डित नहीं किया गया है। इस प्रकार परिवादी ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामले को साबित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर चैकों में वर्णित राशि की दुगुनी राशि जुर्माने तथा दो साल की सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस तर्क दिये गये कि परिवादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है, अभियुक्त निर्दोष है। झूठा फंसाया है। चैक सिक्योरिटी पेटे दिए थे। अभियुक्त ने परिवादी को पूरा पैसा चुका दिया है। इसके बाद भी चैक का दुरूपयोग किया है। परिवादी अपना मामला अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में असफल रही है। अंत में अभियुक्त को धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के मामले में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9. इस प्रकार पत्रावली पर आई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न है कि **"अभियुक्त ने परिवादी से अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु 11,50,000/–रूपये उधार प्राप्त किये व उक्त रकम के भुगतान के पेटे अभियुक्त द्वारा चैक संख्या 502175 राशि 11,50,000 रूपये दिनांक 16.06.2018 बैंक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पार्कस्ट्रीट, जयपुर का दिया व भुगतान होने का आश्वासन दिया जिस पर परिवादी द्वारा उक्त चैक को भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त चैक दिनांक 20.06.2018 को फण्ड्स इनसफिशियेंट के रिमार्क से अनादरित हो गया। उपरोक्त चैकों के अनादरित होने के पश्चात परिवादी द्वारा अभियुक्त के सही निवास पते पर लीगल नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 05.07.2018 को भिजवाया, जो कि अभियुक्त को प्राप्त हो गया। विधिक नोटिस दिये जाने पर भी आपने विधि में विहित अवधि में उक्त चैक में अंकित राशि परिवादी को अदा नहीं की, जिस पर परिवादी ने विहित समयावधि में परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?** यदि हां, तो अभियुक्त क्या दण्ड पाने का अधिकारी है?"

अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 को साबित करने के लिए निम्न बिन्दुओं को साबित किया जाना आवश्यक है।

पहला– **क्या हस्तगत मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों की पूर्णतः पालना हुई है?**

दूसरा– क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उन्मोचन के संबंध में विवादित चैक दिया गया?

तीसरा– क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया?

उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार परिवादी पक्ष पर है। इस संबंध में परिवादी पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू–01 को बतौर साक्षी परीक्षित कराया है तथा 5 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाए हैं।

उक्त अवधार्य प्रश्न के क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना निम्नानुसार हैः–

''क्या हस्तगत मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों की पूर्णतः पालना हुई है?''

10. उक्त अवधार्य प्रश्न के क्रम में सर्वप्रथम परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को देखें तो परिवादी ने अभियुक्त से पुरानी जान पहचान होने के आधार पर और अभियुक्त द्वारा अपनी व्यापारिक व घेरलू आवश्यकता के लिए रूपयों की आवश्यकता बताई जिस पर विभिन्न दिनांकों पर अभियुक्त को परिवादी द्वारा 11,50,000 रूपये जरिये आरटीजीएस और नकद उधार दिये गये जिसकी अदायगी बाबत अभियुक्त द्वारा परिवादी को एक चैक दिया गया। जिसे सिकरने हेतु बैंक में पेश किये जाने पर उक्त चैक फण्डस इनसफिसियेंट के आधार पर अनादरित हुआ। अनादरण की सूचना परिवादी के द्वारा अभियुक्त को भेजी गई। अभियुक्त द्वारा सूचना प्राप्ति के पश्चात भी राशि अदा नहीं करने पर परिवाद पेश करने के कथन किये हैं। अपने द्वारा प्रस्तुत परिवाद के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को न्यायालय में परीक्षित करवाया तथा परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए शपथ पत्र पेश किया जिसे परिवादी ने अपनी जानकारी में सही और सत्य होना प्रकट किया। परिवाद के समर्थन में परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 5 प्रदर्शित करवाये।

उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 1 चैक है। उक्त चैक फण्डस इनसफिसियेंट के आधार पर दिनांक 20.06.2018 को अनादरित

होना रिटर्न मीमो प्रदर्श पी 2 के अवलोकन से प्रकट है। उक्त अनादरण की सूचना प्रदर्श पी 3 परिवादी द्वारा अभियुक्त को विहित समयावधि में दिनांक 05.07.2018 को भेजा जाना प्रदर्श पी 4 के अवलोकन से प्रकट है तथा उक्त सूचना अभियुक्त को दिनांक 16.07.2018 को प्राप्त हो जाना प्रदर्श पी 5 के अवलोकन प्रकट है। इस प्रकार परिवादी ने अपने परिवाद में जो कथन किया है उसकी संपुष्टि उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम एक्ट के प्रावधानों की पूर्णतः पालना की गई है।

इसी के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **मुकेश सिंह बनाम राज्य स्वापक ब्यूरो देहली 2020 एससीसी ऑनलाईन पेज नं. 700 में** यह मार्गदर्शन दिया है कि परिवादी द्वारा उपधारणा के सृजन हेतु प्रारंभिक आधारभूत तथ्यों को स्थापित किया जाना आवश्यक है तथा हस्तगत प्रकरण में परिवादी की ओर से उपधारणा के संबंध में आवश्यक प्राथमिक तथ्यों को स्थापित किया गया है। उक्त अवधार्य प्रश्न के क्रम में परिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से परिवाद में कथित तथ्यों की पुष्टि की है।

''क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उम्मोचन के संबंध में विवादित चैक दिया गया?''

11. उक्त अवधार्य प्रश्न के क्रम में सर्वप्रथम परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से परिवादी ने पूर्णतः यह साबित किया है कि परिवादी ने 138 एन.आई. एक्ट की पूर्ण पालना की है। विवादित चैक जारी किये जाने के संबंध में अभियुक्त द्वारा परिवादी से जो प्रतिपरीक्षा की गई उसका विवेचन करें तो परिवादी ने सेवानिवृत कर्मचारी होना तथा अभियुक्त को 10–12 साल से जानना क्योंकि अभियुक्त उसके बेटे का दोस्त है। इस कारण जानना प्रकट किया। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उसने मुकेश को निजी जान पहचान होने के कारण पैसे उधार दिये थे। उक्त सुझावित तथ्य स्वयं अभियुक्त द्वारा प्रकट करवाया गया है जो यह साबित करता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से राशि उधार ली गई थी। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि मुकेश ने उसे समय पर कभी पैसा उधार नहीं दिया फिर भी उसे अपने द्वारा उधार दिया

जाना स्वीकार किया है। परिवादी ने इस तथ्य को गलत बताया कि वह मुकेश से सिक्योरिटी पेटे चैक लेता था। अभियुक्त द्वारा प्रकट तथ्य यह स्वतः प्रकट करता है कि अभियुक्त ने परिवादी को विवादित चैक दिया था। यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि उक्त चैक सिक्योरिटी पेटे था। इस संबंध में अभियुक्त ने परिवादी से ऐसी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की जो यह साबित करे कि चैक सिक्योरिटी पेटे दिया गया हो। परिवादी ने अपने बेटे की मृत्यु हो जाना और अभियुक्त को 11,50,000 रूपये उधार देना अपने द्वारा रिटर्न भरना तथा रिटर्न में दी गई राशि का हवाला नहीं होना स्वीकार किया। परिवादी ने दौराने प्रतिपरीक्षा अपनी आय के स्रोत में पेंशन के अतिरिक्त किराया, फीस व कृषि कार्य बताया। अभियुक्त द्वारा परिवाद में जो तथ्य प्रकट किये हैं उसका कोई खंडन नहीं किया जिससे परिवादी की वित्तीय स्थिति सुदृढ होना भी प्रकट आता है। पत्रावली देखकर परिवादी ने अपने द्वारा विभिन्न दिनांकों पर दी गई राशि जो कि परिवाद पर अंकित है कि प्रतिपरीक्षा में पुनरावृत्ति की और अपने द्वारा केवल 11,50,000 रूपये दिया जाना प्रकट किया जो कि कुछ आरटीजीएस से और कुछ नकद दिया जाना प्रकट किया। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त को पैसे देने के संबंध में उसके पुत्र से उसकी चर्चा हुई थी और उसके पुत्र की स्वीकृति पर उसका दोस्त होने के कारण पैसे दिये थे। उक्त समस्त तथ्य अभियुक्त द्वारा सुझावित प्रश्न के रूप में परिवादी से प्रकट करवाये गये हैं जो यह पूर्णतः प्रमाणित करते हैं कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से राशि उधार ली गई थी अपने द्वारा परिवादी से पैसा ब्याज पर देना गलत बताया और अभियुक्त द्वारा 2018 में चैक देना जो स्वयं भरकर हस्ताक्षर कर देना स्वीकार किया। अभियुक्त द्वारा केवल एक ही चैक दिया जाना भी परिवादी ने स्वीकार किया और इस तथ्य को गलत बताया कि उसने चैक सिक्योरिटी पेटे दिया। परिवादी ने यह तथ्य भी गलत बताया कि उसे रिटायरमेंट पर मिले पैसों को ब्याज पर चलाया और मुकेश को जो पैसा दिया वह ब्याज का था और चैक ब्याज के सिक्योरिटी पेटे लिया हो। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी से जो प्रतिपरीक्षा की गई है उनसे विवादित चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को परिवादी से ली गई राशि के अदायगी पेटे दिया जाना पूर्णतः साबित होता है। अभियुक्त परिवादी से की गई प्रतिपरीक्षा की हद

तक अपने विरूद्ध चैक के संबंध में हुई उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है। इसके विपरीत परिवादी ने अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है।

अपने बचाव में अभियुक्त ने दौराने बयान मुल्जिम यह प्रकट किया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया है। उसने चैक सिक्योरिटी पेटे दिया था और पैसा पूरा चुका दिया गया है तथा चैक का दुरूपयोग किया। अपने द्वारा प्रकट तथ्यों के समर्थन में अभियुक्त ने ऐसी कोई ठोस और सुदृढ साक्ष्य पेश नहीं की जो अभियुक्त की हस्तगत प्रकरण में प्रतिरक्षा कर सके। इसके विपरीत विवादित चैक अपने द्वारा परिवादी को जारी किया जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। अभियुक्त यह भी साबित करने में असफल रहा है कि उसके द्वारा विवादित चैक सिक्योरिटी पेटे दिया गया था। यदि यह मान भी लिया जाए कि उक्त विवादित चैक सिक्योरिटी पेटे हैं तब भी अभियुक्त ने यह भी साबित नहीं किया कि उक्त दिया गया चैक किस उद्देश्य से सिक्योरिटी पेटे दिया गया। अभियुक्त ने बयान मुल्जिम में जो चैक देने के कथन किया है इस संबंध में भी ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त ने पेश नहीं की, ना ही स्वयं को न्यायालय में परीक्षित ही करवाया। ऐसी स्थिति में न्यायालय में विनम्र मत में अभियुक्त द्वारा प्रकट तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में उसके विरूद्ध चैक के संबंध में हुई उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है। अभियुक्त ने ऐसा कोई बचाव नहीं लिया जो उसकी हस्तगत प्रकरण में प्रतिरक्षा कर सके।

दौराने बहस परिवादी ने यह तथ्य प्रकट किया कि उसने अपने द्वारा प्रकट मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से अपना मामला साबित किया है। अभियुक्त द्वारा परिवादी से विभिन्न समयों पर राशि उधार ली गई थी जिसके एवज में अभियुक्त ने परिवादी को चैक परिदत्त किया था।

इसके विपरीत अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि उसने चैक सिक्योरिटी पेटे दिया और जो पैसा लिया वह चुका दिया किंतु इस संबंध में कोई ठोस और सुदृढ साक्ष्य पेश नहीं की। अभियुक्त द्वारा दिया गया तर्क माने जाने योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा दी गई राशि के संबंध में परिवादी ने इनकम टैक्स रिटर्न भी पेश नहीं किया और पैसे कैसे दिये यह भी साबित नहीं किया है

तो इस संबंध में परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा से यह प्रकट किया कि उसके द्वारा दी गई राशि को आईटीआर में नहीं दर्शाया गया है। साथ ही अपनी आय के स्रोत बताते हुए वित्तीय हैसियत सुदृढ होना परिवादी ने प्रमाणित किया है जिसका भी खंडन अभियुक्त ने नहीं किया है।

इस प्रकार अभियुक्त चैक के संबंध में अपने विरूद्ध हुई उपधारणा का खंडन करने में पूर्णतः असफल रहा है। इसके विपरीत परिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः साबित किया है कि उक्त विवादित चैक परिवादी को अभियुक्त द्वारा विधिक ऋण की अदायगी बाबत दिये गये थे। इस प्रकार यह साबित होता है कि उक्त विवादित चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण की अदायगी हेतु परिदत्त किये गये।

क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया?

12. पूर्ववर्ती दोनों अवधार्य प्रश्नों के संबंध में उक्तानुसार की गई समग्र विवेचना से न्यायालय के समक्ष यह प्रकट है कि अभियुक्त ने परिवादी से जान पहचान होने के कारण अपनी आवश्यकतों की पूर्ति हेतु परिवादी से रूपये उधार लिये व उक्त रूपयों की अदायगी बाबत अभियुक्त द्वारा परिवादी को हस्तगत विवादित चैक दिया गया जो कि फण्डस इनसफिसियेंट के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया जिसके अनादृत होने से उक्त चैक की राशि का भुगतान परिवादी को प्राप्त नहीं हो सका। जहां तक विवादित चैक में वर्णित राशि के भुगतान का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभियुक्त द्वारा बयान मुल्जिम और दौराने बहस यह प्रकट किया कि उसके द्वारा परिवादी से जो राशि ली गई थी वह चुका दी गई है किंतु इस संबंध में ऐसी कोई ठोस और दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की जो अभियुक्त द्वारा प्रकट कथनों को विश्वसनीय बनाये और यह साबित करे कि उसके द्वारा राशि की अदायगी कर दी गई है। इस प्रकार यह साबित नहीं हो सका कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को राशि चुका दी गई हो।

इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा परिवादी अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि

अभियुक्त ने परिवादी को विवादित चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया है। अतः उक्त तृतीय अवधार्य प्रश्न भी परिवादी की साक्ष्य से पूर्णतः साबित है।

13. इस प्रकार परिवादी ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपने परिवाद के आधारभूत तथ्यों को साबित किया है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध की जाने वाली धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा पूर्णतः अखण्डित रही है। परिवादी ने अपनी साक्ष्य द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की विधिक अपेक्षाओं को पूरा किया है। परिवादी ने अपनी साक्ष्य से तथा अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध उसके विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उक्त विधिक उपधारणा के प्रकाश में यह संदेह से परे साबित है कि अभियुक्त ने परिवादी से रूपये उधार प्राप्त किये व उक्त राशि के भुगतान बाबत परिवादी को चैक संख्या 502175 राशि 11,50,000 रूपये दिनांक 16.06.2018 बैंक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पार्कस्ट्रीट, जयपुर का दिया, जिसे भुगतान हेतु बैंक में पेश करने पर दिनांक 20.06.2018 को फण्डस इनसफिसियेंट के रिमार्क के आधार पर अनादरित हो गया। उपरोक्त चैक के अनादरित होने के पश्चात परिवादी द्वारा अभियुक्त के सही पते पर लीगल नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 05.07.2018 को भिजवाया जो कि अभियुक्त को प्राप्त हो गया। विधिक नोटिस की जानकारी हो जाने पर भी अभियुक्त ने विधि में विहित अवधि में उक्त चैक में अंकित राशि परिवादी को अदा नहीं की। जिस पर परिवादी ने विहित समयावधि में परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया। इस प्रकार परिवादी अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त उस पर आरोपित अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

14. परिणामस्वरूप अभियुक्त मुकेश, फ्लेट नंबर 102 जी एफ, श्री बालाजी रेजीडेन्सी, 330–334 सेन कॉलोनी शिव विहार रोड नंबर 5 सीकर रोड जयपुर

राजस्थान 302016 को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(डॉ.ललिता कुमारी सोनी)
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट.प्रकरण)क्रम–01,
जयपुर महानगर–प्रथम

दण्ड के प्रश्न पर

15. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त लंबे समय से अंवीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत परिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिये कि अभियुक्त ने परिवादी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार रूपये प्राप्त किये व उक्त रूपयों को अदा करने बाबत हस्तगत विवादित चैक दिया जो कि अनादरित हो गया परिवादी को रूपयों की अदायगी बाबत् ऐसा चैक देकर जो कि अनादरित हो गया परिवादी के साथ धोखा किया है तथा अभियुक्त को उचित दण्ड दिया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं परिवीक्षा की सम्भावनाओं पर गहनता से विचार किया गया। प्रस्तुत प्रकरण विशेष विधि से संबंधित है। इस प्रकार के मामलों में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो समाज का बैंकिंग प्रणाली व चैक द्वारा संव्यवहार करने की व्यवस्था से विश्वास उठेगा। अतः इस प्रकार के मामलों में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना यह न्यायालय न्यायोचित नहीं पाता है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

दण्डादेश

16. अतः अभियुक्त मुकेश, फ्लेट नंबर 102 जी एफ, श्री बालाजी रेजीडेन्सी, 330–334 सेन कॉलोनी शिव विहार रोड नंबर 5 सीकर रोड जयपुर राजस्थान 302016 को 502175 राशि 11,50,000 रूपये दिनांक 16.06.2018 बैंक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पार्कस्ट्रीट, जयपुर के अनादरण के अपराध के लिए धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत दोषसिद्धि पर **01 वर्ष** के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त **15,00,000/– रूपये अक्षरे पंद्रह लाख रूपये** जुर्माना बतौर प्रतिकर न्यायालय

में जमा कराये जो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार परिवादी को अदा की जायेगी। अपील नहीं होने की सुरत में, नियमानुसार परिवादी को अदा किये जावे। अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त **02 माह** का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। प्रतिकर की राशि अभियुक्त से जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगी। प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि बाद गुजरने मियाद अपील एवं रिवीजन नियमानुसार परिवादी को दिलायी जावे। यदि अभियुक्त द्वारा कोई राशि पूर्व में विवादित चैक के संबंध में हस्तगत प्रकरण में अदा की गई हो तो वह जुर्माना राशि में समायोजित की जावे।

17. अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होने बाबत् अंतर्गत धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत **06 माह** की अवधि के लिए **30,000/**–रूपये की जमानत व स्वयं का मुचलका इसी कदर राशि का पेश करे।

18. अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने की अवधि, यदि कोई हो, धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत मूल सजा में समायोजित की जावे। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। तद्नुसार सजा वारण्ट मुर्तिब किया जावे। अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

(डॉ.ललिता कुमारी सोनी)
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट.प्रकरण)क्रम–01,
जयपुर महानगर–प्रथम

19. निर्णय आज दिनांक 18.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(डॉ.ललिता कुमारी सोनी)
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट.प्रकरण)क्रम–01,
जयपुर महानगर–प्रथम

ANJU KUMARI
Steno Gr III "Authenticated Document" Digitally signed by ANJU KUMARI
Date: 2026.08.18 16:44:37 +0530